पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की रक्षा करो
वामपंथविरोधी प्रतिक्रियावादी गिरोह को शिकस्त दो

भूमिका

21 जून, 2010 को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने अपने शासन के 33 वर्ष पूरे कर लिए। उसका लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतकर, तीन दशक तक सत्ता में बना रहना महज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई किसी भी सरकार के लिए रिकॉर्ड है। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को यह सफलता आम जनता खासकर मजदूर जमात तथा किसानों के पक्ष में नीतियां बनाने और लागू करने से हासिल हुई है।

1977 से, जब से वाममोर्चा सरकार सत्ता में आई है, उसने जनता को राहत देने वाली वैकल्पिक नीतियां अपनाई हैं। हालांकि भारत की पूंजीपति-भूस्वामी गठजोड़ पर टिकी शासन व्यवस्था के चलते, एक राज्य की सरकार होने के नाते उसे कई दिक्कतें भी झेलनी पड़ी हैं। वाममोर्चा सरकार ने व्यापक भूमि सुधार किए हैं और मज़बूत पंचायती राज व्यवस्था कायम की है। इन ऐतिहासिक कदमों ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों/ भूस्वामियों की कमर तोड़ दी। इसने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त तरीके से सुधारा है। गरीब किसानों और कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार करते हुए, दसियों लाख ग्रामीण परिवारों को घोर गरीबी की दलदल से बाहर निकाला गया है।

मजदूरों के हकों की रक्षा करने और सामाजिक विकास के लिए, दूसरी अनेक नीतियां भी बनाई गई हैं, जिनसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों, सरकारी कर्मचारियों, स्कूल तथा कॉलेज के अध्यापकों, छात्रों, नौजवानों तथा महिलाओं को, भारी फायदा पहुंचा है। दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इस सबके अपने अनुभवों के आधार पर ही जनता ने, वाममोर्चा सरकार को आम जन का पक्षधर और उनके अधिकारों का रक्षक माना है। वाममोर्चा के लिए राज्य की जनता के अटूट समर्थन के बल पर ही पश्चिम बंगाल हमारे देश में, वामपंथी आन्दोलन का गढ़ बना है।

वामपंथ विरोधी ताकतों द्वारा हमला

बहरहाल, हाल में यह वामपंथी गढ़ भारी हमले का शिकार हुआ है। 2006 में जब वाममोर्चा ने भारी जन-समर्थन से विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही वामपंथविरोधी ताकतों ने वामपंथ पर करारा हमला बोल रखा था। जहां एक तरफ प्रतिक्रियावादी तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथविरोधी पार्टियों का राजनीतिक गठजोड़ कायम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े वामपंथी कार्यकर्ताओं पर, जबर्दस्त हमले हुए हैं और उन्हें डराने तथा धोंस में लेने के सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। 2009 की मई के बाद से 250 से ज्यादा वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, जिनमें अधिकांश सी पी आई (एम) से संबंध रखते हैं। इनमें समाज के सबसे पिछड़े हुए तबके से संबंध रखने वाले आदिवासी, दलित सबसे बड़ी संख्या में हैं। इनमें से अधिकांश घिनौनी हत्याएं, तृणमूल कांग्रेस ने माओवादियों के साथ मिलकर की हैं। कांग्रेस पार्टी, जो कि इस वामपंथविरोधी गठजोड़ में जूनियर पार्टनर है, आम तौर पर इस हत्यारी मुहिम को समर्थन दे रही है और कुछ ज़िलों में प्रत्यक्षतौर पर भी इन हत्याओं में शामिल है। साफ है कि भारत में शासक वर्ग और उसके राजनीतिक नुमाइंदे, पश्चिम बंगााल सरकार द्वारा अपनाई जा रही वैकल्पिक नीतियों को सहन

नहीं कर पा रहे हैं। इन हमलों के पीछे एक वजह यह भी है कि पश्चिम बंगााल का वामपंथी आन्दोलन, पूरे देश में आम जनताविरोधी तथा साम्राज्यवादपरस्त केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, पूरे देश में आवाज बुलंद करने में मदद कर रहा है। वर्ष 2004-08 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर से समर्थन देते हुए वामपंथ ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण; बैंकिंग, बीमा, खुदरा क्षेत्र तथा उच्च शिक्षा इत्यादि को विदेशी पूंजी के लिए खोलने; खाद्य , कृषि , पैट्रोलियम व माइनिंग क्षेत्र को अनियंत्रित व उदार बनाने जैसी कई दक्षिणपंथी नीतियों को रोकने में भी, अहम भूमिका निभाई थी। वामपंथ ने सरकार को अमीरों पर टैक्स बढ़ाने तथा इसे मनरेगा जैसे गरीबों के उत्थान से जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए मजबूर किया था। वामपंथ ने अमेरिका के साथ रणनीतिक गठजोड़ का भी पुरजोर विरोध किया था, जिसे नाभकीय समझौते से और मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। वामपंथ के इस विरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी , बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विशेष तौर पर अमेरिकी कंपनियों और भारत के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के स्वार्थों को काफी नुकसान पंहुचा है। इसीलिए, भारत मे वामपंथ को कमजोर करना इन साम्राज्यवादी स्वार्थों तथा खुद भारतीय शासक वर्ग के भी हित में है, ताकि साम्राज्यवादी नवउदारवादी नीतियों को बिना किसी विरोध के देश में लागू किया जा सके। और वामपंथ के सबसे मजबूत गढ़ पश्चिम बंगाल पर हमला किए बिना, वामपंथ को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

सांप्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियों का गुस्सा

पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार और समूचा वामपंथी आन्दोलन, साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियों के खिलाफ,धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के उदाहरण के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। एक ऐसे प्रदेश में जहां ऐतिहासिक रूप से साम्प्रदायिक हिंसा और उन्माद बना रहा हो, वाममोर्चा सरकार की नीतियों और वामपंथी आन्दोलन के चलते, धर्मनिरपेक्षता मजबूत हुई है और पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बना रहा है। इसी वजह से साम्प्रदायिक ताकतें, पश्चिम बंगाल में वामपंथ की कट्टरविरोधी बनी रही हैं। ये ताकतें इस राज्य में अपना आधार बढ़ाने के लिए, वामपंथविरोधी ताकतों को अपना पूरा समर्थन दे रही हैं।

तृणमूल कांग्रेस - माओवादियों के नेतृत्व में हमला

पश्चिम बंगाल में उद्योगीकरण के मुद्दे पर विरोधी पार्टियों ने एक घटिया वामपंथविरोधी प्रचार अभियान चलाया, हालांकि नंदीग्राम में एक इंच जगह का भी अधिग्रहण नहीं हुआ था। किसानों और जनता के अन्य तबकों के बीच यह गलत प्रचार किया गया कि उनकी भूमि जबर्दस्ती छीन ली जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस स्थिति का इस्तेमाल माओवादियों को अपने साथ लाने, तृणमूल-माओवादी गठजोड़ के इर्द-गिर्द तमाम वामपंथीविरोधी ताकतों को इकट्ठा करने तथा वामपंथियों पर हमले करने के लिए किया। साम्राज्यवादी ताकतें और भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग इस तृणमूल-माओवादी हमले का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुराने ग्रामीण बड़े भूस्वामी भी इसको समर्थन दे रहे हैं, जो भूमि सुधारों को पलटकर पुन: अपनी तानाशाही कायम करना चाहते हैं। लोकतन्त्रविरोधी अलगाववादी ताकतें मसलन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और कामतापुर लिबरेशन संगठन भी, उत्तरी बंगाल में इस वामपंथविरोधी अभियान में शामिल हो गए हैं। केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार इस मुद्दे पर बतकही ही करती रही है और केन्द्रीय रेल मन्त्री और माओवादियों के बीच खुल्लमखुल्ला गठजोड़ को अनदेखा करती रही है।

पश्चिम बंगाल में वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हमले करने के अलावा वामपंथविरोधी ताकतों ने पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार और इसके कामों को बदनाम करने के लिए घिनौना प्रचार अभियान छेड़ रखा है।

उनकी इस मुहिम में व्यवसायिक मीडिया और धुर-कम्युनिस्ट विरोधी गैर-सरकारी संगठन, सभी मिल गए हैं। ये संगठन दिन-रात वामपंथ विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस नेता को प्रगतिशीलता का मुखौटा पहना रहे हैं ताकि इन वामपंथविरोधी ताकतों के हिंसक और फासीवादी चेहरे को छुपाया जा सके। इन सबके पीछे प्रयास यह है कि वामपंथी सरकार को बदनाम किया जाए और 250 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्याओं को, झूठ के सहारे सही ठहराया जाए।

भूमि अधिग्रहण पर झूठा विवाद

वाममोर्चा सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार मुख्यत: भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किया गया है। यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि सरकार एस ई जैड और निजी उद्योग लगाने के लिए, बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का जबर्दस्ती अधिग्रहण कर रही है। सच्चाई क्या है? सन 2006 में जब एस ई जैड कानून पास हुआ था, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में महज 11 एस ई जैड बने हैं जिनमें से 9 सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी-संबद्ध हैं। इनके लिए ज्यादातर मामलों में 10-20 हैक्टेयर भूमि आधिग्रहीत की गई है। सबसे अधिक भूमि 48.5 हैक्टेयर अधिग्रहीत की गई है। इन 11 एस ई जैड में, कुल मिलाकर 210 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है ।

इसके विपरीत गोवा में 3 एस ई जैड में 250 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है। इसी दौरान पूरे देश में बने 363 एस ई जैड में से, 74 विशेष आर्थिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में ही विकसित किए गए हैं, जिनके लिए 12,300 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत हुई है। साथ में दी जा रही तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि किस राज्य में कितने एस ई जैड लगाए गए हैं और कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है।

कुछ चुने हुए राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र

2006 के बाद अधिसूचित

राज्य	सेजों की संख्या	सेजों का रकबा (हैक्टेयर में)	सबसे बड़े सेज का रकबा (हैक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	74	12,300	2206
महाराष्ट्र	62	9,150	1,597
तमिलनाडु	57	4,470	1,019
कर्नाटक	32	2,160	5,88
हरियाणा	32	1,380	4,40
गुजरात	30	8,600	6,214
प0बंगाल	**11**	**2,10**	**48**
गोवा	3	2,50	1,23

लेकिन, इस तथ्य के बावजूद कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक तथा हरियाणा जैसे राज्यों में एस ई जैड के लिए हजारों हैक्टेयर भूमि निजी घरानों के हवाले कर दी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, वाममोर्चा सरकार के खिलाफआधारहीन घटिया प्रचार जारी है। जो लोग पश्चिम बंगाल में एस ई जैड के मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं, उन्होंने इन राज्यों में अंधाधुंध एस ई जैड खोलने पर कोई विरोध जताने की हिम्मत नहीं दिखाई है।

ऐसे वक्त में जब कई राज्यों में अवैध खनन और व्यावसायिक लालच के लिए बड़े पैमाने पर जंगल

नष्ट किए जा रहे है, पश्चिम बंगाल सरकार ने जंगलों को बचाया है। इस प्रदेश में वन-भूमि 1980 के 14 प्रतिशत से बढ़कर अब 16.6 प्रतिशत हो गई है। उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा आदि की सरकारें जहां उद्योग लगाने के लिए जंगल-क्षेत्र में अंधाधुंध अनापत्ति प्रमाणपत्र दे रही हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग लगाने के लिए सबसे कम अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए हैं।

सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार पर ऐसे समय में आरोप लग रहे हैं, जब वह बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि हीनों की बीच भूमि बांट रही है। वर्ष 2007 -10 के बीच भी वाम मोर्चा सरकार ने 16700 एकड़ भूमि किसानों में वितरित की है। वाम मोर्चा सरकार भूमिहीनों के बीच 20,000 रुपए के करीब की (0.1-0.5 एकड़) भूमि घर बनाने के लिए मुफ्त भी बांट रही है। वनाधिकार कानून के 2006 के अंतर्गत 15, 300 एकड़ जमीन पर, तकरीबन 26,000 पट्टे आदिवासियों के बीच बांटे जा चुके हैं। तृणमूल के साथ मिलकर माओवादी इस कानून को लागू करने में व्यवधान डाल रहे हैं।

भूमि सुधारों का शानदार रिकार्ड

भूमि सुधार के मामले में पश्चिम बंगाल का पूरे देश में सबसे बढ़िया रिकार्ड रहा है। फरवरी 2010 तक, पश्चिम बंगाल में कुल 11 लाख 28 हजार एकड़ कृषि भूमि बांटी जा चुकी थी। इन भूमि सुधारों से 30 लाख 10 हजार से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है, जिनमें 55 प्रतिशत दलित या आदिवासी हैं। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से 6 लाख 15 हजार सांझे पट्टे और 1 लाख 62 हजार महिला पट्टे बांटे गए हैं। बंटाईदारों के नाम दर्ज किए जाने से, जो भूमि सुधारों का अहम हिस्सा है , 15 लाख13 हजार किसानों को फायदा पंहुचा है। पूरे देश में भूमि सुधारों से लाभान्वित होने वालों में, 54 प्रतिशत अकेले पश्चिम बंगाल से ही हैं।

किसानों के पक्ष में नीतियां

भूमि सुधारों के चलते आज पश्चिम बंगाल में 84 प्रतिशत कृषि भूमि छोटे और मंझले किसानों के पास है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के चलते प्रदेश में कुल सिंचित भूमि 1977-78 के 32 प्रतिशत से बढ़कर, अब तक 72 प्रतिशत हो चुकी है। सिंचित भूमि का राष्ट्रीय औसत 45 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार की नवउदारवादी नीतियों के विपरीत, पश्चिम बंगाल सरकार बीजों और सही मूल्य पर उत्पाद खरीदने के लिए, भारी सब्सिडी दे रही है। खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 82 रू0 है। इन सबके परिणाम भी आसानी से देखे जा सकते हैं। जहां पूरे देश में कृषि विकास दर 2008-09 तथा 2009- 10 में क्रमश: 1.6 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत रही थी, पश्चिम बंगाल में यही दर 4.4 प्रतिशत व 4.2 प्रतिशत रही थी । वाममोर्चा सरकार के शासन में पश्चिम बंगाल पिछले कुछ वर्षों में चावल की कमी वाले प्रदेश के बजाय, पूरे देश मे सार्वधिक चावल का उत्पादन (2009-10 में 145 लाख टन) करने वाला राज्य बन गया है। सब्जी और मछली उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल देश में सबसे ऊपर है। लेकिन, देश में सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल में होने के बावजूद केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल से चावल नहीं खरीदती है और पूरे देश में चावल की केंद्र सरकार की कुल खरीद का महज 5 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से खरीदा जाता है। 2009 -10 में प्रदेश सरकार ने 17 लाख 40 हजार टन चावल किसानों से खरीद कर 2 रु0 प्रति किलो के हिसाब से गरीबी की रेखा से नीचे के 2.64 करोड़ लोगों में बांटा है।

पंचायतों का सुदृढ़ीकरण

वाममोर्चा सरकार की एक और सफलता सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायतों तथा नगर निकायों को मजबूत बनाते हुए, लोकतन्त्र को और पुख्ता बनाना है। 1977 से लागू त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था ने अपार सफलता प्राप्त की है, जिसका पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता को देखते हुए ही, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी थी। पंचायती राज व्यवस्था के

मजबूत होने का ही नतीजा है कि ग्रामीण गरीबों, खेत मजदूरों, दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न और खाप पंचायतों जैसी जो सामाजिक बुराईयां देश के अनेक राज्यों में आज तक मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल से पूरी तरह खत्म हो गई हैं। वाम मोर्चा सरकार ने हाल ही में पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।

मजदूरों के हक

वाममोर्चा सरकार ने मजदूर वर्ग, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी तक असंगठित क्षेत्र के 17 लाख मजदूरों को भविष्यनिधि योजना में शामिल किया जा चुका है। सरकार बन्द पड़ी फैक्टरियों और चाय बागानों के मज़दूरों को, 1500 रु0 प्रतिमाह की मदद कर रही है। वृद्धों, विधवाओं को और शारीरिक रूप से श्रम करने में असमर्थ लोगों, किसानों, मछुआरों, हथकरघा उद्योगों में काम कर रहे लोगों तथा बढ़इयों को, 1000 रु0 प्रतिमाह की पैंशन दी जा रही है। हाल ही में सरकार ने शहरी गरीबों को भी 100 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार मुहैया कराने की योजना में शामिल किया है।

पश्चिम बंगाल में पूरे देश में सर्वाधिक 27 लाख छोटी विनिर्माण इकाइयां हैं जिनमें सर्वाधिक 58 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में 10 लाख 40 हजार स्वयं-सहायता समूह हैं, जिनके साथ 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं।

सामाजिक दशा में सुधार

वाममोर्चा सरकार के शासन में, मानव विकास के संकेतकों के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल में हालात में बहुत सुधार हुआ है। इस राज्य में शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित प्रसवों पर 38 है, जबकि पूरे भारत में यही दर 57 है। इस राज्य में पुरुषों की औसत आयु 64.5 वर्ष तथा महिलाओं की 67.2 वर्ष है, जबकि पूरे देश के लिए यही आंकड़े यह क्रमश: 61 तथा 62.5 वर्ष के हैं। राज्य में मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर 6.2 है जबकि पूरे देश के स्तर पर यही दर 7.4 है। पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर 72 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह दर 63.4 प्रतिशत है। बंगाल में 6 वर्ष तक की आयु वाले लगभग सभी लड़के और लडकियां स्कूल जाते हैं और बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की दर काफी कम हो गई है। इसी वर्ष राज्य सरकार 60,000 स्कूल अध्यापकों की भर्ती कर रही है।

अल्पसंख्यकों के अधिकार

धर्मनिरपेक्षता की रक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रखना, पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार की निशानी ही बना रहा है। यह गर्व की बात है कि वाममोर्चा के तीन दशक लम्बे शासन में, पश्चिम बंगाल साम्प्रदायिक हिंसा से पूरी तरह मुक्त रहा है। उसके आलोचक अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए राज्य सरकार के कामों को लेकर प्रश्न भी उठाते रहे हैं, जैसा की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया। वैसे सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भूमि सुधारों से बंगाल में गरीब मुसलमानों को हुए भारी फायदे को अनदेखा ही कर दिया है। इस राज्य में कुल सिंचित भूमि का 25.6 प्रतिशत मुसलमानों के पास है, जो जम्मू-कश्मीर के बाद पूरे देश में सार्वाधिक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी अनदेखा कर दिया गया है कि बंगाल की वाम मोर्चा सरकार, सभी मदरसा अध्यापकों की तनख्वाह दे रही है।

पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, अल्पसंख्यक छात्रों और नौजवानों को सस्ते दर पर ऋण दे रहा है। वर्ष 2009-10 में तकरीबन 3 लाख 50 हजार मुसलमानों को इससे फायदा हुआ। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को आधुनिक बनाने के अलावा सरकार ने 1780 में स्थापित कोलकाता मदरसा को भी

आगे बढ़ाकर 2007 में अल्लाह यूनिवर्सिटी बना दिया है जिसमें इंजीनियरिग, विज्ञान, मैनेजमेंट, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ इस्लामिक शिक्षा भी दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय का एक केन्द्र भी मुर्शिदाबाद में खोला गया है। वाममोर्चा सरकार ने हाल ही में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए मुस्लिम ओ बी सी को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। मुस्लिम ओ बी सी की श्रेणी में आने वालों को चिन्हित करने का काम जारी है और 2 करोड़ 20 लाख मुसलमानों में से 1 करोड़ 40 लाख से अधिक को ओ बी सी के प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। इससे सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

तृणमूल कांग्रेसः एक विघटनकारी ताकत

जहां बंगाल की वाम मोर्चा सरकार, जनता को नवउदारवादी शोषण से बचाने के लिए तमाम जनहितैषी कदम उठा रही है, वहीं तमाम वामपंथविरोधी पार्टियां राज्य की प्रगति को रोकने में लगी हैं। सी पी आइ (एम) और वामपंथ, अपनी कमियों को भी अच्छी तरह जानते हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए दृढ-संकल्प हैं। लेकिन, तृणमूल कांग्रेस, वाममोर्चा की प्रगतिशील नीतियों का कोई विकल्प नहीं दे सकती है। उसके 'मां, माटी, मानुष' के नारे के पीछे, उसकी घोर कम्युनिस्टविरोधी राजनीतिक अवसरवाद की विचारधारा है। कोई कैसे भूल सकता है कि एन डी ए सरकार में मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने, गुजरात में 2002 के दंगों के बाद विधानसभा चुनाव जीतने पर नरेन्द्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया था।

उनके वर्तमान कार्यकाल में ही रेल दुर्घटनाओं की झड़ी लग गई है, जिससे सैकड़ों अनमोल जानें गई हैं। जहां वर्ष 2009-10 में रेलवे दुर्घटनाओं में 64 लोग मारे गये थे, वहीं अप्रैल 2010 के बाद से अब तक, 218 लोग रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। मंत्री महोदया रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने की कोई शुरूआत नहीं कर रही हैं, जबकि इनमें से अधिकांश पद सुरक्षा और देख-रेख से संबंधित हैं। इसके साथ ही साथ पब्लिक-प्राईवेट- पार्टनरशिप के नाम पर, रेलवे के आधारभूत ढांचे का निजीकरण किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक हितों के लिए, रेल्वे के हितों की बलि चढ़ायी जा रही है।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने, पीसीपीए-माओवादियों द्वारा 9 अगस्त 2010 को लालगढ़ में आयोजित रैली को संबोधित करने में बिल्कुल शर्म नहीं महसूस की, जबकि यही संगठन 28 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रैस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार थे, जिसमें 150 मासूम लोगों की जानें गई थीं।

माओवादियों का चरित्र

बुद्धिजीवी वर्ग का एक तबका, माओवादियों को लेकर भ्रम में है। सी पी आइ (माओवादी) 1960-70 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रेरित है। वे चीनी क्रांति की नकल कर, हथियारों के बल पर भारत में क्रांति लाना चाहते हैं। नक्सलवादी आंदोलन के तबाह होने के बाद सी पी आइ (एम एल-लिबरेशन) और सी पी आइ (एम एल--न्यू डैमोक्रेसी)को अपनी भूल का अहसास हुआ है और उन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है । नेपाल में भी माओवादियों ने लोकतंत्र की अहमियत को समझा है और चुनावों में हिस्सेदारी की है। वे नेपाल में जनतांत्रिक संविधान लिखने की प्रक्रिया में भी शामिल हैं। इसके विपरीत, भारतीय माओवादी बेवजह हिंसा में लिप्त हैं और पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाकर, मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। वे भ्रष्ट बुर्जुआ राजनीतिज्ञों की शरण लेते रहे हैं। वे छद्म क्रांतिकारी नारे देकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और आदिवासियों के मुददों पर उनकी जनतांत्रिक जन-लामबंदी से रोक रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में माओवादियों ने पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में प्रतिक्रियावादी

तृणमूल कांग्रेस से गठजोड़ किया है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सी पी आइ (एम) के कार्यकर्त्ताओं की हत्याएं की हैं। मई 2009 के बाद से माओवादियों ने इन तीन जिलों में 150 से ज्यादा सी पी आइ (एम) कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं। नवम्बर 2008 में माओवादियों ने पश्चिमी मिदनापुर जिले में बारूदी सुरंग का विस्फोट कर, राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश की थी।

माओवादियों से निपटने के प्रयासों में भी वाममोर्चा सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि कोई भी मासूम व्यक्ति तंग न हो। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने कई विकास कार्य शुरू किए हैं। इस सबके परिणाम स्वरूप वहां जनता माओवादियों के खिलाफ संगठित हो रही है और सुरक्षा बलों का साथ दे रही है। माओवादी भाग रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में वामपंथ की रक्षा करो

परिवर्तन के नाम पर तृणमूल–माओवादी गठजोड़, पश्चिम बंगाल में अराजकता और सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन लाना चाहते हैं। इन ताकतों की कामयाबी से इस राज्य में जनवादी आंदोलन द्वारा हासिल की गयी प्रगति को धक्का लगेगा और पहले जैसी शोषणकारी व्यवस्था दुबारा आ जाएगी। पहले के भूस्वामियों द्वारा उन क्षेत्रों में जहां तृणमूल की ताकत बढ़ी है, वाम मोर्चा सरकार द्वारा गरीबों में बांटी गई भूमि पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश किए जाने की घटनाएं घटी हैं।

पश्चिम बंगाल में मई 2011 में होने वाले चुनाव में, एक ओर मेहनतकश जनता; सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और देश के अखंडता की रक्षा करने वाली ताकतों; और दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों–भूस्वामियों और अमीरों के हितों की रक्षा करने वाली ताकतों के बीच, टक्कर होगी। पूंजीपतिपरस्त ताकतें, अमरीकी साम्राज्यवाद से गठजोड़ कर तथा साम्प्रदायिकता का सहारा लेकर, अपने विघटनकारी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहती हैं।

सी पी आइ (एम)देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील तबकों से, पश्चिम बंगाल में वामपंथविरोधी पार्टियों के प्रतिक्रियावादी और गैर–लोकतांत्रिक चेहरे को पहचानने और देश में वामपंथी जनतांत्रिक आंदोलन को आगे ले जाने तथा पश्चिम बंगाल में वामपंथ की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील करती है। 0